

दिनांक 20 नवम्बर, 2019 को निदेशक, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना की अध्यक्षता में आहूत क्षेत्रीय पदाधिकारियों के राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

1. उपस्थिति:-संलग्न।

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को ससमय राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में भाग लेने का निदेश दिया गया। अनुपस्थिति के कारण की पूर्व सूचना अचूक रूप से निदेशालय को लभ्य कराने एवं बैठक में अनुपस्थित पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर वैध कारण नहीं रहने पर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

2. सभी जिला सांख्यिकी कार्यालय भवन की स्थिति की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि पूर्वी चम्पारण में अपना कार्यालय भवन नहीं है और योजना भवन भी नहीं है। जिला सांख्यिकी कार्यालय, भोजपुर जर्जर स्थिति में है तथा जिला सांख्यिकी कार्यालय, बेगुसराय का अपना कार्यालय भवन अर्द्धनिर्मित है। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर एवं बेगुसराय को भवन निर्माण विभाग के स्थानीय कार्यालय को संसूचित करने का निदेश दिया गया तथा जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण को अपने भवन निर्माण हेतु कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य प्रमंडल, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी से प्राक्कलन तैयार करा कर जमीन उपलब्धता संबंधि कागजात के साथ निदेशालय को संसूचित करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, भोजपुर, बेगुसराय एवं पूर्वी चम्पारण

3. अनुपालन प्रतिवेदन निर्धारित 8वीं तारीख तक निदेशालय को लभ्य कराने वाले प्रमंडल/जिलों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया तथा शेष को ससमय अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु सख्त निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

4. निदेशालय द्वारा विभिन्न संवर्गों के कर्मियों को देय ACP/MACP की बैठक माह-जनवरी 2020 में होना है। जिसके लिए निदेशालय स्तर पर 15-16 दिसम्बर 2019 को समीक्षा की जायेगी। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जिन सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मियों का ACP/MACP देय है उनकी चारित्री/विशेष चारित्री, विहित प्रपत्र में सेवा इतिहास एवं सेवापुस्त की अभिप्रमाणित प्रति एक पक्ष के अन्दर निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

5. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि माह जून 2019 में स्थानान्तरित कुछ कर्मी अभी तक अपने नव पदस्थापन स्थान पर योगदान नहीं किये हैं। सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०) एवं सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके कार्यालय में योगदान नहीं करने वाले नव स्थानान्तरित कर्मी की सूचना तीन दिन के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराये, ताकि निदेशालय स्तर पर उनसे स्पष्टीकरण की मांग करते हुए योगदान हेतु अग्रतर कार्रवाई की जा सके।

अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/स्थापना

6. निदेशालय द्वारा समुह-‘घ’ के नियमित कर्मियों का विवरण उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था, जो अबतक जिला सांख्यिकी कार्यालय, सहरसा, वैशाली, से अप्राप्त है एवं मूल्यांकन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय यथा- सहायक निदेशक तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर को छोड़कर किसी भी प्रमंडल से प्रतिवेदन अप्राप्त है। उक्त प्रतिवेदन दो दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- मूल्यांकन निदेशालय/संबंधित जिला सां०पदा०/स्थापना प्रशाख-2

7. सभी सहायक निदेशक(मुख्यालय) राज्यस्तरीय बैठक के पूर्व अपने-अपने प्रशाखा के लंबित प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराने हेतु दूरभाष के माध्यम से जिला को स्मारित करने का निदेश दिया गया। ताकि राज्य स्तरीय बैठक हेतु तैयार प्रतिवेदन अद्यतन हो सके।

अनुपालन:- सभी सहायक निदेशक(मुख्यालय)


29.11.2019

8. क्षेत्रीय कार्यालयों से ई-मेल द्वारा प्रेषण करने के क्रम में विषय में संबंधित प्रतिवेदन का उल्लेख नहीं कर सिर्फ पत्रांक एवं दिनांक अंकित रहने से किसी खास प्रतिवेदन की पहचान कर प्राथमिकता के आधार पर उसे डाउन लोड किया जाना संभव नहीं होता है। सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि ई-मेल से प्रतिवेदन/पत्र प्रेषित करते समय विषय में प्रतिवेदन का नाम अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

9. श्री अनिल चन्द्र प्रकाश, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी-सह-प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग को निदेश दिया गया कि प्रतिदिन निदेशालय के ईमेल पर प्राप्त होने वाले पत्रों को संबंधित प्रशाखा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

निदेशालय के ईमेल- dir-stat-bih@nic.in

अनुपालन:- निदेशालय/श्री अनिल चन्द्र प्रकाश(कम्प्यूटर कोषांग)

10. बजट :-

- (i) मासिक व्यय विवरणी की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अक्टूबर, 2019 का मासिक व्यय विवरणी उपलब्ध करा दिया गया है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देते हुए भविष्य में सभी प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

- (ii) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. अथवा किसी भी प्रकार के बकाया वेतनादि का भुगतान एक सप्ताह के अंदर करते हुए व्यय विवरणी के साथ अतिरिक्त राशि की शीर्षवार मांग विहित प्रपत्र में 30.11.2019 तक निदेशालय को उपलब्ध करायी जाय ताकि आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि का आबंटन किया जा सकें।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

- (iii) जिन आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा निदेशालय पत्रांक-2121 दिनांक-14.11.2019 द्वारा मांगी गई केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम की राशि के संव्यवहार संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करायी गई है, उन्हें तीन दिन के अन्दर उक्त प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०/बजट शाखा

- (iv) विभागीय गाड़ियों के रख-रखाव एवं मरम्मत हेतु निदेशालय पत्रांक-2125 दिनांक 19.11.2019 के साथ प्रेषित वित्त विभाग का पत्र सं०-एम 4-18/2006-2216/वि दिनांक-29.06.2016 का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

- (v) राज्य योजना एवं केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम उप शीर्षों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में आवंटित राशि का ससमय शत-प्रतिशत व्यय करने एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित प्रशाखा के प्रभारी पदाधिकारी(सहायक निदेशक/उप निदेशक) को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

- (vi) (क) गत बैठकों में दिये गये स्पष्ट निदेश के बावजूद भी अद्यतन संधारित कार्यालय रोकड़ पंजी एवं बैंक पासबुक के अंतिम पृष्ठ की सत्यापित छाया प्रति बहुत जिलों से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि प्रत्येक माह का प्रतिवेदन अनुवर्ती माह के 8वीं तारीख तक निश्चित रूप से निदेशालय के लेखा शाखा को लम्ब कराना सुनिश्चित करें।

- (ख) रोकड़पंजी एवं कार्यालय के बैंक खाता में संधारित राशि से संबंधित BRS प्रतिवेदन की समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि कई कार्यालयों के बैंक खातों में रोकड़पंजी के अन्तःशेष से काफी अधिक एवं कई कार्यालयों में अतःशेष की राशि संचित है। ऐसे

29.11.2019

कार्यालयों को स्पष्ट निदेश दिया गया कि अंतःशेष की राशि 15 दिनों के अन्दर समायोजित करें अथवा शेष राशि संबंधित जमा शीर्ष में जमा कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुपालन- सहायक निदेशक(आहरण एवं व्ययन)/संबंधित जिला सां०पदा०

- (vii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के त्रैमासिक लेखा सत्यापन की समीक्षा की गई। कई जिला सांख्यिकी पदाधिकारी द्वारा बतलाया गया कि महालेखाकार कार्यालय, पटना द्वारा अभी लेखा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जैसे ही लेखा सत्यापन का कार्य प्रारम्भ होता है, तुरंत लेखा सत्यापन कराकर उसकी सत्यापित छायाप्रति निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

- (viii) सभी आहरण एवं व्ययन पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि जब तक CFMS प्रणाली सुदृढ़ नहीं हो जाता है तब तक आवंटन पंजी, व्यय पंजी एवं विपत्र पंजी आदि का नियमित संधारण करेंगे तथा मैनुअली लेखा की जाँच एवं व्यय-विवरण प्रेषित करते रहेंगे। मैनुअली एवं CFMS के आंकड़ों में कोई विसंगति हो तो इसकी सूचना CFMS Help Desk को भेजते हुए उसका समाधान यथाशीघ्र करना सुनिश्चित करेंगे।

अनुपालन- सभी प्रमंडलीय उप निदेशक (सां०)/सभी जिला सां०पदा०

11. वर्षापात:-

- (i) सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला के सभी प्रखण्डों में स्वचालित मौसम केन्द्र (AWS) तथा जिला के सभी पंचायतों में स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) के अधिष्ठापन हेतु मानक के अनुरूप स्थलों का भौतिक सत्यापन करते हुए स्थलों का फोटो सहित ब्योरा, साथ ही यदि किसी जिला/प्रखंड में AWS अधिष्ठापन हेतु कुछ कम जमीन भी लभ्य है, तो उसका ब्योरा निदेशालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया

अनुपालन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (ii) कई जिलों से AWS अधिष्ठापन हेतु उपलब्ध कराये गये चयनित स्थलों की सूची मानक के अनुरूप नहीं रहने अथवा अधुरी सूचना अंकित रहने के कारण वापस की जा रही है। सभी को निदेश दिया गया कि त्रुटिपूर्ण स्थलों का ब्यौरा सूची प्राप्त होते ही स्वयं उसका स्थल निरीक्षण कर अपूर्ण सूचनाओं को पूर्ण करते हुए अथवा मानक के अनुरूप नये स्थल का चयन कर पूर्ण ब्यौरा एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करें।

अनुपालन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी/वर्षापात

- (iii) दैनिक वर्षापात के आंकड़ों को Web-Portal पर प्रत्येक दिन 10 बजे पूर्वाह्न तक निश्चित रूप से अपलोड करने एवं 80 mm से ज्यादा वर्षा होने की स्थिति में पुनः सत्यापन के उपरान्त ही अपलोड करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

12. रान्यास:-

77वें सत्र में संचालित सर्वेक्षण के निरीक्षण के अद्यतन स्थिति की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि मात्र सिवान, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा, पूर्णियाँ, नालंदा, सारण एवं दरभंगा जिला द्वारा द्वितीय गमन के प्रथम उपसत्र में निरीक्षण किया गया है। शेष निरीक्षणालयों से निरीक्षण शून्य है। इस पर क्षोभ प्रकट किया गया तथा निदेश दिया गया कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप निरीक्षण करना सुनिश्चित करें तथा निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को ससमय उपलब्ध करावें।

अनुपालन:- सभी प्र०उप निदेशक(सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०/निदेशालय

Handwritten signature and date:
29.11.2019

Handwritten mark:

Handwritten mark:

13. लघु सिंचाई गणना:-

- (i) छठी लघु सिंचाई गणना एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य के प्रगति की समीक्षा प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को करेंगे। जिसकी कार्यवाही अगले सप्ताह के सोमवार को 12.00 बजे अपराह्न तक निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निदेशालय में इसकी समीक्षा 4.00 बजे अपराह्न में किया जायेगा।

अनुपालन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (ii) छठी लघु सिंचाई गणना संदर्भ वर्ष 2017-18 एवं जल निकाय गणना का क्षेत्रीय गणना कार्य का नियमित अनुश्रवण कर गणना कार्य में प्रगति लाने संबंधी निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

14. आर्थिक गणना:-

सातवीं आर्थिक गणना के एस.एल-2 पर्यवेक्षक की सूची निदेशालय द्वारा जिला को मेल कर दिया गया है, जिसका यूजर आई.डी. एवं पासवर्ड की जांच करते हुए निदेशालय को सूचित करेंगे।

अनुपालन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

15. साधन सांख्यिकी एवं आवास सांख्यिकी :-

- (i) सभी स्थानीय निकायों (शहरी एवं ग्रामीण) वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 का लेखा विवरणी (आय एवं व्यय) विहित प्रपत्र में जिला-रोहतास एवं सिवान से आंशिक रूप में प्राप्त है, शेष जिलों से अप्राप्त है। इस संदर्भ में निदेशालय के अनेकों स्मार एवं राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठकों में आपके आश्वासन के बावजूद प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो पाया है। निदेश दिया गया कि शीघ्रताशीघ्र प्रतिवेदन निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालन:- सभी उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

- (ii) क्षेत्रीय पदाधिकारियों को आवास सांख्यिकी से संबंधित प्रतिवेदनों एवं प्रपत्रों की जानकारी दी गयी। आवास एवं भवन निर्माण से संबंधित त्रैमासिक प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2019-20 का भागलपुर, नालंदा, दरभंगा, कटिहार, मुंगेर से अप्राप्त है। संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि लंबित त्रैमासिक प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर भारत सरकार को ऑन-लाइन भेजते हुए इसकी सूचना निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालन: संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (iii) सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि कृषि श्रमिकों की दैनिक मजदूरी, कारा सांख्यिकी, पशुवधशाला एवं पशुओं की महामारी, चिकित्सा एवं संचारी रोग से संबंधित लंबित प्रतिवेदनों को अद्यतन कर एक सप्ताह के अन्दर निदेशालय को लभ्य करावें।

अनुपालन: संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

16. कृषि:-

- (i) फसल सांख्यिकी सुधार योजना:-

- (क) वर्ष 2019-20 में **मदई 1.0 एवं 1.1** अरवल, पूर्वी चम्पारण, भागलपुर, बांका एवं पूर्णियाँ जिला से अप्राप्त है एवं **अगहनी 1.0 एवं 1.1** नालंदा, बक्सर, गया, अरवल, नवादा, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पू० चम्पारण, प० चम्पारण, सीतामढी, शिवहर, वैशाली, बेगुसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, खगड़िया, भागलपुर, बांका, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया एवं कटिहार जिला से अप्राप्त है। संबंधित जिला को लंबित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (ख) **मदई मकई 2.0 (2019-20):-** पटना, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, बांका एवं पूर्णियाँ जिला से अप्राप्त है। वांछित प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (ii) **मदई सामान्य जिंसवार(2019-20):**— पटना, बक्सर, गया, पूर्वी चम्पारण, प० चम्पारण, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर, लखीसराय, सहरसा, मधेपुरा एवं पूर्णियाँ जिला से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन दिनांक-27.11.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (iii) **मदई प्रक्षेत्र मूल्य (2019-20):**— पटना, गया, नवादा, औरंगाबाद, प० चम्पारण, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा एवं पूर्णियाँ जिला से अप्राप्त है। निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन दिनांक-27.11.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (iv) बैठक में उपस्थित सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को हल्का कर्मचारियों द्वारा प्लॉट टू प्लॉट सर्वेक्षण के पश्चात् प्राप्त आंकड़ों का सत्यापन प्रखंड में पदस्थापित प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक एवं यथा संभव अनुपातिक रूप से स्वयं ग्रामों का सत्यापन संबंधित सविस्तार दी गई एवं निदेश दिया गया कि प्रत्येक मौसम में आंकड़ों का सत्यापन करने के पश्चात प्रतिवेदन निदेशालय को प्रेषित करें।

अनुपालन:- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (v) **अगहनी द्रुत जिंसवार (2019-20):**—बक्सर, भागलपुर, अरवल, एवं मधेपुरा जिला से लंबित पाया गया। वांछित प्रतिवेदन दिनांक-27.11.2019 तक निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

17. औद्योगिक उत्पादन सूचकांक :-

राज्य श्रृंखला के अन्तर्गत चयनित औद्योगिक ईकाईयों से उत्पादन संबंधी प्रतिवेदन आधार वर्ष 2011-12 के लिए प्रत्येक माह प्राप्त होना है। परंतु कुछ जिलों से आधार वर्ष 2003-04 के लिए चयनित ईकाईयों का प्रतिवेदन प्राप्त हो रही है। जिसकी उपयोगिता निदेशालय के लिए शून्य है। अतएव सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि आधार वर्ष 2011-12 के लिए चयनित सूची के अनुसार वर्ष 2011-12 के प्रत्येक माह एवं अप्रैल 2016 से अद्यतन मासिक प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

अनुपालन:- संबंधित जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

18. कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन :-

कृषि पदार्थों का साप्ताहिक थोक एवं खुदरा मूल्य प्रतिवेदन प० चम्पारण, बेगुसराय एवं समस्तीपुर जिला से अप्राप्त है। उन्हें निदेश दिया गया कि लंबित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर निदेशालय को उपलब्ध करावें। साथ ही उक्त मूल्य संग्रह हेतु निर्धारित दिवस शुक्रवार के अगले कार्य दिवस को विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन निदेशालय के ईमेल (des.si.price.stat@gmail.com) पर भेजते हुए इसकी हॉर्ड कॉपी भी निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन: सभी प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/सभी जिला सां०पदा०

19. नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन :-

नमक मूल्य का मासिक प्रतिवेदन नालंदा, अरवल, मुंगेर, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, बांका, सुपौल, मधेपुरा, कटिहार एवं पूर्णियाँ से अप्राप्त है, जिसे विहित प्रपत्र में भरकर एक सप्ताह में निदेशालय एवं प्रशाखा (des.si.price.stat@gmail.com) के ईमेल पर भेजते हुए इसकी हॉर्ड कॉपी भी निदेशालय को लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन: संबंधित जिला सां०पदा०/आय प्रशाखा, मुख्यालय


19.11.2019



20. जीवनांक:

- (i) जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण का मासिक प्रतिवेदन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि प्रत्येक माह की 8वीं तारीख तक मासिक प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में लभ्य कराना सुनिश्चित करें।

अनुपालन: सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (ii) प्रतिवेदन प्रेषण का स्तर:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि जिला अन्तर्गत सभी जन्म-मृत्यु निबंधन इकाईयों से प्रतिवेदन प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (iii) जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि:- वर्ष 2019 में वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध माह अक्टूबर 2019 तक जन्म रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 74.60 प्रतिशत प्राप्त किया गया, जबकि माह अक्टूबर 2019 तक 83 प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त किया जाना था। शेखपुरा (95.93), सीतामढ़ी (94.31) एवं पूर्णियाँ (92.56), खगड़ियाँ (83.01), समस्तीपुर (82.66), कटिहार (82.50) प्रतिशत उपलब्धि प्राप्त करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं सभी जिलों को निदेश दिया गया कि माह नवम्बर 2019 तक वार्षिक लक्ष्य के विरुद्ध जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण की उपलब्धि 92.00 प्रतिशत प्राप्त करने हेतु समुचित प्रयास करेंगे।

अनु०:- सभी प्र० उप निदेशक(सां०)/सभी जि० सां०पदा०

- (iv) वैसे जिलों जिनका निबंधन प्रतिशत बहुत ही कम है उन जिलों में सभी निबंधन इकाई को जिला पदाधिकारी के साथ समन्वय स्थापित कर वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु समुचित कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- संबंधित प्रमंडलीय उप निदेशक(सां०)/संबंधित जिला सां०पदा०

- (v) निदेशालय द्वारा लभ्य कराये गये रोस्टर के अनुरूप रजिस्ट्रीकरण इकाईयों में "विशेष निरीक्षण अभियान" संचालित करने हेतु निदेशित किया गया ताकि किसी भी स्तर से जन्म एवं मृत्यु की घटनाओं तथा उनके रजिस्ट्रीकरण में अन्तर की स्थिति उत्पन्न न हो साथ ही शत प्रतिशत घटनाओं का रजिस्ट्रीकरण सुनिश्चित करें।

अनुपालन:-सभी जिला सांख्यिकी पदाधिकारी

- (vi) MCCD त्रैमासिक प्रतिवेदन:- वर्ष 2019 का प्रथम त्रैमासिक प्रतिवेदन सभी जिलों से प्राप्त है। वर्ष 2019 का द्वितीय त्रैमासिक प्रतिवेदन पूर्वी चम्पारण से अप्राप्त है। वांछित प्रतिवेदन शीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण

- (vii) मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम :- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी एवं सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी का मासिक अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम के साथ पूर्व माह में किये गये भ्रमण का निरीक्षण प्रतिवेदन भी लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:-सभी जिला सां०पदा०/सभी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी

- (viii) जिला स्तरीय ऑनलाईन प्रशिक्षण हेतु निदेशालय का पत्रांक-2220 दिनांक 02.12.2016 द्वारा आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र जिला सहरसा से अप्राप्त है। वांछित प्रतिवेदन शीघ्र लभ्य कराने का निदेश दिया गया।

अनुपालन:- जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, सहरसा

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त की गयी।


29.11.2019




निदेशक
29/11

